न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 733 / 2021

अनवान : –

1. धापा देवी पुत्री हरिराम पत्नी देवीलाल जाति जाट साकिन मदावास कोहिणा तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. हरिराम पुत्र पेमाराम जाति जाट साकिन जोजासर तहसील नोहर।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

– असल प्रतिवादीगण

3. सिलोचना पत्नी अमरसिंह जाति जाट साकिन मदावास कोहिणा तहसील तारानगर जिला चुरू।
4. सुमित्रा देवी पत्नी नरेन्द्र कुमार जाति जाट साकिन मदावास कोहिणा तहसील नोहर।
5. पूजा देवी पत्नी संजय कुमार जाति जाट साकिन वार्ड स0 05 मदावास कोहिणा तहसील तारानगर जिला चुरू।

– तरतीबी प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री मदनमोहन जोशी अधिवक्ता **वादी**
श्री मांगीराम बैनीवाल अधिवक्ता प्रतिवादी

निर्णय **दिनांक: 22.08.2023**

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया गया है कि रोही मौजा रेखमालिया तहसील नोहर के खाता संख्या 145 / 141 के ख0न0 172 की 13.671 हैक्ट भूमि मे से 1 / 2 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा मंगलाराम की अर्जित भूमि है प्रतिवादी संख्या 1 कर्ता हिन्दु खानदान होने के कारण अपने नाम अकेले वाद भूमि अकेले के नाम दर्ज करवा ली जबकि वाद भूमि में वादीया व तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 5 संयुक्तत प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बहिब के खातेदार काश्तकार है वादीया एवं तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 5 का वाद भूमि का वाद भूमि में जन्मजात हक हिस्सा है। वादीया वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 की बजाय वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 व तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 5 के नाम बहिब दर्ज करवा पाने का कानूनी अधिकारी है व इस बाबत घोषणा करवा पाने की अधिकारी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 14:44:55 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद तरतीबी प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 ने उपस्थित होकर वादीया के वाद को स्वीकार करते हुए अपना ईकबाल जवाब पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादीया मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई एतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 1 को विधिवत सम्मन तामिल होने के उपरान्त भी उपस्थित नही न ही उनकी और से कोई प्लीडर उपस्थित अतः प्रतिवादी सं0 1 के विरूद्व एकपक्षीयक कार्यवाही अमल में लाई गई।

प्रकरण में तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 5 का ईकबाल जवाब दावा प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र बाबत मुख्य परीक्षा पेश कर अपने द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेज सही होना स्वीकार किया गया।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। अधिवक्ता वादी ने अर्जीदावा के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की उक्त वाद भूमि वादी की पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी एवं तरतीबी प्रतिवादीगण स0 3 ता 5 का प्रतिवादी स0 1 के साथ जन्मजात हक हिस्सा है। प्रकरण में तरतीबी प्रतिवादीगण स0 3 ता 5 ने वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल/आपसी सहमति पेश हो चुकी है तथा प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है अर्थात वादीया के वाद के संबंध में कोई एतराज नही हैं। अतः वादीया का वाद डिक्री फरमाया जावें।

हमने उभयपक्षों को सुना, पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार प्रस्तुत वाद में रोही मौजा रेखमालिया तहसील नोहर के खाता संख्या 145/141 के ख0न0 172 की 13.671 हैक्ट भूमि मे से 1/2 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त वाद भूमि प्रस्तुत दस्तावेजात से हिन्दु परिवार की साझाा आय से अर्जित पैतृक दादालाई कृषि भूमि होना साबित है। तरतीबी प्रतिवादीगण स0 3 ता 5 द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई एतराज नही है। वादी द्वारा प्रस्तुत सदस्य प्रमाण पत्र एवं पत्रावली में दर्शाये गये सजरा खानदान के अलावा प्रतिवादी स0 1 के अन्य कोई भी वारिस नही होना स्वीकार किया गया है। वादी के वाद को तरतीबी प्रतिवादी स0 3 ता 5 के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 14:44:55 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 5 की सहमति एवं वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा रेखमालिया तहसील नोहर के खाता संख्या 145/141 के ख0न0 172 की 13.671 हैक्ट भूमि मे से 1/2 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है में प्रतिवादी स0 1 की बजाय वादी एवं प्रतिवादी स0 1 तथा तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 5 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हों। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 22/8/23 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 14:44:55 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 733/2021
अनवान : –

1. धापा देवी पुत्री हरिराम पत्नी देवीलाल जाति जाट साकिन मदावास कोहिणा तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. हरिराम पुत्र पेमाराम जाति जाट साकिन जोजासर तहसील नोहर।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

– असल प्रतिवादीगण

3. सिलोचना पत्नी अमरसिंह जाति जाट साकिन मदावास कोहिणा तहसील तारानगर जिला चुरू।
4. सुमित्रा देवी पत्नी नरेन्द्र कुमार जाति जाट साकिन मदावास कोहिणा तहसील नोहर।
5. पूजा देवी पत्नी संजय कुमार जाति जाट साकिन वार्ड स0 05 मदावास कोहिणा तहसील तारानगर जिला चुरू।

– तरतीबी प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 733 सन 2021 निर्णय दिनांक 22.08..2023

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्ष की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 5 तथा वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी ध्मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा रेखमालिया तहसील नोहर के खाता संख्या 145/141 के ख0न0 172 की 13.671 हैक्ट भूमि मे से 1/2 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है में प्रतिवादी स0 1 की बजाय वादी एवं प्रतिवादी स0 1 तथा तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 5 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह डिक्री आज दिनांक 22/12/23 को में मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 14:44:55 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर